

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences,
University of South Carolina Aiken

Hasan Baktir
English Language and Literature
Department, Kayseri

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of
Management Sciences[PK]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest,
Romania

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pinteau,
Spiru Haret University, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

Xiaohua Yang
PhD, USA

Titus PopPhD, Partium Christian
University, Oradea, Romania

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political
Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh, Ratnagiri, MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur

Iresh Swami

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University,
Solapur

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur
University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

R. R. Yaliker
Director Management Institute, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education,
Panvel

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science
YCMOU, Nashik

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji
University, Kolhapur

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University,
Mumbai

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance
Education Center, Navi Mumbai

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College,
Indapur, Pune

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director, Hyderabad AP India.

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play, Meerut (U.P.)

S. Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

S.KANNAN
Annamalai University, TN

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University



सामाजिक न्याय एवं लोकहितकारी वाद

सोहन लाल

सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)

चौ. बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।

शोध सार

भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्त्वों में सामाजिक न्याय को विशिष्ट दर्जा दिया गया है। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को आमजन के लिए प्राप्य बनाने के लिए भारत सरकार के तीनों ही अंगों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में रहकर महत्त्वपूर्ण चेष्टाएं की हैं। सामाजिक न्याय को नवीन धारण नहीं है, बल्कि प्राचीनकाल से ही इस विषय पर चिंतन एवं मनन होता रहा है। न्यायपालिका के द्वारा जनसाधारण यानि दलित, निर्धन, पिछड़े वर्ग, निरक्षर एवं अक्षम लोगों शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से अपने पर प्रतिबंध जिसमें वह तभी निर्णय करती थी, जब वादी प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर न्याय की मांग करते थे को विलोपित कर दिया। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को लोकहित के मामले में सरल एवं सुगम बना दिया है। यह सर्वविदित है कि लोकहितकारी वाद आम नागरिकों की आशा का केन्द्रबिन्दु है। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को अर्जित करने में लोकहितकारी वाद सहायक सिद्ध हुए हैं। इसके बिना इसी राष्ट्र का समावेशी विकास संभव नहीं हो सकता है। शब्द संकेत :- मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक न्याय, न्यायालय, लोकहितकारी वाद, समावेशी विकास।

शोध-आलेख

भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्त्वों में सामाजिक न्याय को विशिष्ट दर्जा दिया गया है। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को आमजन के लिए प्राप्य बनाने के लिए भारत सरकार के तीनों ही अंगों ने अपने-अपने कार्य क्षेत्र में रहकर महत्त्वपूर्ण चेष्टाएं की हैं। जैसे व्यवस्थापिका ने अनेक महत्त्वपूर्ण और युग परिवर्तनकारी कानूनों का निर्माण कर समाज में फैली असमता की खाई को पाटने का प्रयास किया है; सामाजिक न्याय को मूर्तरूप देने में न्यायपालिका की भी अहम् भूमिका रही है। पिछले 70

वर्षों में न्यायपालिका ने समाज के कमजोर एवं वंचित तबके को समाज की मुख्य धारा में लाने का महत्ता कार्य कर रही है। कमजोर एवं वंचित तबके के मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ कानूनी प्रावधान भी उल्लेखनीय हैं। भारतीय दण्ड संहिता एवं अपराध प्रक्रिया संहिता के साथ कुछ अधिनियम महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रही हैं।

सामाजिक न्याय से आशय

‘सामाजिक न्याय’ कोई नवीन धारण नहीं है, बल्कि प्राचीनकाल से ही इस विषय पर चिंतन एवं मनन होता रहा है। हां इतना अवश्य है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में ‘मानवाधिकारों के घोषणा

—पत्र’ को सम्मिलित किया गया तो सामाजिक न्याय की अवधारणा को प्रचारित एवं प्रसारित किया है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एक राज्य के लिए ‘स्टेट्स सिम्बल’ बन गया है। जिस देश में जितना अधिक सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है, उतना ही वह देश विकसित माना जाता है। सामाजिक न्याय से आशय प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां (मानव को मानव होने के नाते मिलने वाले मानवाधिकार) उपलब्ध कराना है, ऐसा पर्यावरण सृजित करना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति गरिमा एवं प्रतिष्ठा से जीवन यापन कर सकता है। संक्षेप में, गैर बराबरी की बाधाओं को दूर कर समतावादी व्यवस्था स्थापित करना सामाजिक न्याय है, जिसके लिए विधि



के शासन को अपनाकर इस अवधारणा को गतिमान बनाया गया। भारतीय संविधान का प्रथम उद्देश्य सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना है, जिसके लिए सरकार के तीनों अंग संघर्षरत है।

लोकहितकारी वाद से आशय

न्यायपालिका के द्वारा जनसाधारण यानि दलित, निर्धन, पिछड़े वर्ग, निरक्षर एवं अक्षम लोगों शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से अपने पर प्रतिबंध 'जिसमें वह तभी निर्णय करती थी, जब वादी प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर न्याय की मांग करते थे' को विलोपित कर दिया। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को लोकहित के मामले में सरल एवं सुगम बना दिया है। यह सर्वविदित है कि लोकहितकारी वाद आम नागरिकों की आशा का केन्द्रबिन्दु है, क्योंकि लोकहितकारी वाद में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, शोषण, पर्यावरण, बालश्रम, स्त्रियों का शोषण, भ्रष्टाचार विषयों पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा मात्र सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच कराकर या वस्तुस्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। इस प्रकार का वाद लोकहितकारी वाद कहलाता है।

लोकहितकारी वाद उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकहितकारी वाद को जस्टिस पी. एन. भगवती तथा वी.के. कृष्ण अय्यर ने सन् 1976 के उत्तरार्द्ध में मुम्बई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई (ए.आई.आर. 1976, एस.सी. 1465) में इसे मान्यता दी, जिसे वैकटचैल्यया, जे.एस. वर्मा, कुलदीप सिंह आदि न्यायधीशों ने आगे विस्तारित किया। उच्च न्यायालयों ने इन वादों को अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत विचार प्रारंभ कर दिया है। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लोकहितकारी वाद तंत्र इस प्रकार काम करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण आमजन अवसर से वंचित न रह जाएं। लोकहित वाद निम्न प्रकार से आमजन की सहायता करता है—

वंचित वर्गों के लिए समस्त प्रकार के वादों का निराकरण करना।
सुलभ निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।
मामलों का सारगर्भित एवं त्वरित निपटारा करना।
पीड़ित पक्षकारों को शीघ्र जटिलता रहित एवं घरेलू वातावरण में न्याय दिलाना।
लंबित वादों की संख्या में कमी लाना।
लोकहितकारी मामलों का स्वतः प्रेरणा से निपटारा करना।

सामाजिक न्याय एवं लोकहितकारी वाद

सामाजिक न्याय समाज के कमजोर वर्ग एवं गरीबों की पीड़ा एवं व्यथा को दूर करने तथा प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराने वाली एक युक्ति है। यह एक सामान्य विचार नहीं बल्कि शोषित वर्ग की व्यथा को दूर करने वाली गूढ़ अवधारणा है क्योंकि अलग-अलग विद्वान इसे अलग-अलग अर्थ में प्रस्तुत करते हैं। प्रायः सामाजिक न्याय से निम्न अभिप्राय लिए जाते हैं—

समतावादी समाज के सृजन के लिए सम्पत्ति का न्यायसम्मत वितरण।
समान अधिकारों की उपलब्धता।
समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास।
वंचित एवं कमजोर तबकों का सर्वांगीण विकास।

लोकहितकारी वाद के द्वारा आम जन को सामाजिक न्याय उपलब्ध करने के लिए उच्च न्यायलयों में भी अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत विचार प्रारम्भ कर दिया है और उच्चतम न्यायालय ने इस परिपाटी को इस टिप्पणी के साथ अनुमोदित भी कर दिया कि जहाँ कार्यपालिका की किसी मनमानी और अनुचित कार्यवाही से जनहित को हानि पहुँचती है वहाँ रिट जारी करना उच्च न्यायलय का परम कर्तव्य होगा, जिससे कि लोकहित के अधिकारों की रक्षा हो सके। न्यायालय को अपना यह समाधान करना चाहिए कि लोकहितकारी वाद लाने वाला व्यक्ति लोककल्याण के लिए 'सद्भाव से' वाद लाया है। यह किसी अन्य पक्षकार या याचिका दायर करने वाले पक्षकार के निजी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मात्र छद्मवेश न हो, इस मामले में न्यायालय इसकी सत्यता की जाँच भी कर सकता है।

लोकहितकारी वाद के मामले में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 जिसका संशोधन 2002 में किया गया, इसके द्वारा लोक कल्याण सेवाओं के विवादों के सम्बन्ध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है ताकि आम लोगों के विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। संविधान के अनुच्छेद 14 का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के सभी वर्ग (लोक हितों) के अधिकारों एवं न्याय से सभी वर्गों को समान न्याय व्यवस्था स्थापित करना। लोकहितकारी वाद का एक ही आदर्श वाक्य है 'जियो और जीने दो' एवं दूसरों के हितों का ध्यान रखना। राज्य का परम कर्तव्य हो जाता है कि असामाजिक तत्वों पर उचित कार्यवाही कर असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करते हुए समाज में सामान्य शान्ति व्यवस्था बनाए रखें। न्यायालय व्यक्तिगत हितों के साथ-साथ सामाजिक हित के संरक्षक के रूप में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने लगा है। न्यायाधीश श्रीकृष्ण अय्यर के अनुसार वाद—कारण और पीड़ित व्यक्ति की सकुंचित धारणा के स्थान पर 'वर्ग कार्यवाही' लोक हित में कार्यवाही की विस्तृत धारणा ले रही है। ऐसे मामले व्यक्तिगत मामलों से भिन्न होते हैं। लोकहितकारी वाद एक व्यक्ति के बजाए ऐसे समूहों के हितों के संरक्षण पर बल देते हैं कि शोषण या अत्याचार का शिकार होता है और जिसे सवैधानिक और मानवाधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे कई मामलों पर विचार किया है कतिपय निम्नानुसार हैं—

आगरा प्रोटेक्शन होम केस ।
 बिहार (भागलपुर) जेल के विचाराधीन कैदियों को मामला ।
 बम्बई के पटरीवासियों का मामला ।
 दिल्ली में कैदी के साथ जेल वार्डन द्वारा क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार का मामला
 पुलिस ड्राईवर का केस ।
 चर्मकारों (कानपुर) का केस ।
 तिलोनिया (अजमेर) के श्रमिकों का केस ।
 बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ ।
 रुदल शाह बनाम बिहार राज्य ।
 एशियाड श्रमिक केस 1982 ।
 औद्योगिक प्रदूषण का मामला ।

पूर्व केबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम सहित 83 पूर्व नौकरशाहों की जनहित याचिकाएँ ।

मुख्य न्यायाधीश बालकृष्ण के अनुसार किसी भी न्यायाधीश के सामने आने वाला हर मुकदमा एक मानवीय मुद्दा होता है न कि तकनीकी सवाल । भारत में न्यायपालिका ने संवैधानिक मूल्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को सुदृढ़ किया तथा लोकहितकारी याचिका प्रणाली में सामाजिक न्याय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं । लोकहितकारी वाद की अवधारणा ने उच्चतम न्यायालय को देश के निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगो के अधिकारों का सजग प्रहरी के रूप में प्रतिष्ठित किया है । उसके लोकहितकारी निर्णयों ने उसे आम जन के दरवाजे तक पहुँचा दिया है, जिसका आह्वान हमारे सविधान के अनुच्छेद 39 (क) में किया गया है । इस प्रकार न्यायपालिका का स्वरूप सक्रिय एवं विधेयात्मक बन गया है और आमजन के समग्र उत्थान में बराबर का भागीदार बन रहा है । अब यह कहा जाने लगा है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय दुनिया के अन्य सभी उच्चतम न्यायालयों की तुलना में अद्वितीय बन गया है ।

सारांश में कह सकते हैं कि लोकहितकारी वाद आम नागरिकों की आशा का केन्द्रबिन्दु है । सामाजिक न्याय के लक्ष्य को अर्जित करने में लोकहितकारी वाद सहायक सिद्ध हुए हैं । इसके बिना किसी राष्ट्र का समावेशी विकास संभव नहीं हो सकता है । स्वस्थ एवं असमानता रहित समाज की स्थापना के लिए लोकहितकारी वाद उतना ही अति आवश्यक है, जितना कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन (O₂) की अति आवश्यकता है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. श्रीवास्तव आलोक, (2007) "उच्चतम न्यायालय", जोशी आर.पी. (संपादक) "भारतीय सरकार एवं राजनिति", पृष्ठ 181, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर ।
2. डॉ. जैन पुखराज, (2015) "भारतीय शासन एवं राजनिति" पृष्ठ 362-366, साहित्य भवन, आगरा ।
3. डॉ. जाटव डी.आर., (1998) "सोशियल जास्टिस इन इण्डिया", पृष्ठ 12-13, इनाश्री प्रकाशक, जयपुर ।
4. दिवाकर डी.एम. सितम्बर, (1999) "दलित कोशचियन ऑफ इन इक्यूलिटी, एक्सप्लोइटेशन एण्ड मोबिलाइसेशन, मैन एण्ड डेवलपमेन्ट" ।
5. चेतना, (2015) "भारत में सामाजिक न्याय एवं महिलाएँ", शैलेन्द्र मौर्य (संपादक) "भारत में महिला मानवाधिकार" पृष्ठ 134,135,144,145, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर ।
6. प्रतियोगिता दर्पण, हिन्दी मासिक जनवरी, 2017 आगरा पृष्ठ 165 ।

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- * International Scientific Journal Consortium
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org